32

विज्ञापित

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन /2017 मुरैना रि० 186-I/17

मातादीन पुत्र कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बिलगांव चौधरी परगना जौरा जिला मुरैना

..........प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन

............अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि 13-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र वास्ते म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत अपील क 1231/1/2013 में पारित आदेश दिनांक 21.12.16 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

श्रीमान जी,

आवेदका की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील 1231/एक/2013 दिनांक 30.03.013 को प्रस्तुत की गई । जो आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.16 से अस्वीकार की जाकर निरस्त की गई जो आलोच्य आदेश उचित व न्याय संगत नही है।
2. यहकि, श्रीमान महोदय द्वारा अपने आदेश मे अपनी मंशा के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त की गई है।
3. यहकि, आवेदक द्वारा उक्त अपील में सभी विन्दुओ पर काफी ध्यान आकर्षित करागया गया परन्तु सभी विन्दुओ को नजर अदांज कर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 186–एक/2017 जिला–मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील 1231–एक/13 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 186–एक/2017 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक अपील 1231–एक/2013 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 21.12.2016 से किया जा चुका है।	

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य र्प्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य